RAJYA SABHA

Friday, the 27th April, 2001/7 Vaisakha, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Gujarat Relief Measures

*601. SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA†:
SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total amount of contribution to the Prime Minister's National Relief Fund, as on date, in connection with Gujarat earthquake victims;

(b) the amount released for Gujarat earthquake victims so far;

(c) whether some MPs from Gujarat have complained to Government regarding criminal neglect in relief and rehabilitation work in Kutch region; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The corpus of Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) is constituted entirely with voluntary contributions and disbursements from the Fund are entirely at the discretion of the Prime Minister.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sukhdev Singh Libra.

(b) Government of India have so far released Rs. 830 crores to the State from the National Calamity Contingency Fund (NCCF) for relief and rehabilitation.

(c) and (d) Distribution of relief and rehabilitation on the ground is the responsibility of the State Government. However, available communications from the Hon'ble Members of Parliament from Gujarat either relate to suggestions for improving and intensifying relief and rehabilitation measures or seek help for specific areas.

श्री सुखदेव सिंह लिब्राः सभापति महोदय, गुजरात में भूकम्प प्रभावित इलाकों के पुनर्वास और भूकम्प पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सरकार की ओर से, भारतीय जनता की ओर से और विदेशों से इतनी मदद आ रही है या आ चुकी है जिससे सभी प्रभावित शहर और कस्बे एकदम नए बनाए जा सकते हैं और भूकम्प पीड़ितों को अच्छी फाइनैंशियल ऐड दी जा सकती है जिससे कि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें। लेकिन, सभापति जी, अक्सर अखबारों और टी॰ वी॰ में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य नहीं हो रहे और दी गई मदद का मिस-यूज़ हो रहा है। जो मकान भूकम्प की वजह से गिरने वाले हैं, उनकी केवल मरम्मत कराकर लोगों को उनमें बसने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कल ही टी॰वी॰ के 'आज तक' चैनल में दिखाया गया है।

मैं अपने प्रश्न के (ए) भाग के रूप में सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई वाच डॉग टाइप कमेटी का गठन किया गया है जो भूकम्प पीड़ित राहत कार्य की देख-रेख कर सके? अगर ऐसी कोई कमेटी है तो उसका गठन कब हुआ, उसके मैम्बर कौन-कौन हैं और उस कमेटी की अभी तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं?

मेरे प्रश्न का (बी) भाग है, अगर नहीं तो क्या सरकार...

श्री सभापतिः आपने दूसरा सवाल भी तो करना है।

श्री सुखदेव सिंह लिब्राः सर, बी भाग है

श्री सभापतिः आपने दूसरा सवाल नहीं करना, पहले सवाल में ही सारे सवाल कर देंगे आप?

श्री सुखदेव सिंह लिब्राः ठीक है, सर।

श्री नीतीश कुमारः सभापति जी, गुजरात में भूकम्प के बाद वहां के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से, विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की तरफ से और दूसरे मुल्कों से भी बड़ी मात्रा में राहत सामग्री और धन मुहैया कराया गया है। इस संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में भी लोगों ने दान दिया है।

गुजरात सरकार ने वहां राहत के बाद रिहेबलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी कई प्रकार के पैकेज घोषित किए हैं। कई संगठनों ने यह काम अपने जिम्मे लिया है। इसमें सरकार की तरफ से भी काम हो रहा है और गैर-सरकारी संगठनों की तरफ से भी काम हो रहा है। गुजरात सरकार ने एक अथारिटी का निर्माण किया है। चूंकि यह विषय भी मूलतः राज्य का है और जवाबदेही भी मूलतः राज्य की है, इसलिए हम लोगों की भूमिका उन्हें मदद पहुंचाने की है लेकिन धरती पर काम करने की जो जवाबदेही है, वह उन्हीं की है और वे बहुत ही बेहतर ढंग से कोआर्डिनेट करके इस काम को कर रहे हैं और मुख्य मंत्री की देख-रेख में भी एक कमेटी वहां काम कर रही है।

श्री सुखदेव सिंह लिब्राः सर, वाच डॉग टाइप कमेटी बनाने के बारे में तो जवाब आया नहीं कि बनाई या नहीं?

श्री सभापतिः इन्होंने बताया है कि एक कमेटी बनाई है वहां के चीफ मिनिस्टर की देख-रेख में।

श्री सुखदेव सिंह लिब्राः सभापति जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि भूतपूर्व अमरीकी राष्ट्रपति, श्री बिल क्लिंटन ने अपने भुज-कच्छ दौरे के बाद किस प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिलाया है और उस पर भारत सरकार का क्या रिएक्शन है?

श्री नीतीश कुमारः सर, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि विभिन्न संस्थाओं की तरफ से, देश के अंदर से और देश के बाहर से भी मदद मिल रही है और कई स्थानों पर लोगों ने गांव अपने हाथ में लिए हैं, उसके रिहेबलिटेशन का काम अपने जिम्मे लिया है और इस सिलसिले में गुजरात सरकार कोआर्डिनेशन का काम कर रही है। हम लोगों के पास बाहर से जो भी सहायता आई, उसको वहां पहुंचाने के लिए जो कोआर्डिनेशन की व्यवस्था की आवश्यकता थी, वह यहां से की गई।

श्री रमा शंकर कौशिकः सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष की संग्रह निधि का गठन पूरी तरह से स्वैच्छिक अंशदानों से होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए खास तौर से ऐलान किया गया था कि भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री कोष में सहायता दीजिए। इसके अतिरिक्त आयकरदाताओं पर 2 परसेंट अधिभार लगाया गया था और वह इस आधार पर लगाया गया था कि भूकंप पीड़ितों के लिए आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पैसा लोगों ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए दिया है और जो पैसा आपको अधिभार से प्राप्त हुआ है, क्या वह सारा का सारा पैसा आपने गुजरात सरकार को भेज दिया है या उसका नियोजन किया है? क्या यह कार्यवाही आप स्वयं कर रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में लोग दान देते हैं। यह एक ट्रस्ट है और इसके माध्यम से विभिन्न कार्यों के लिए यह पैसा दिया जाता है। गुजरात के लिए भी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा दिया गया है, यह सार्वजनिक जानकारी का विषय है लेकिन जहां तक 2 प्रतिशत अधिभार से जो पैसा आया, उसका सवाल है, वह पैसा NCCF में जाएगा और NCCF के माध्यम से वह पैसा गुजरात को मिलेगा। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के पार्ट बी के उत्तर में बताया है, अब तक NCCF से 830 करोड़ रुपया रिलीज़ किया जा चुका है। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि यह जो अधिभार लगाया गया है, चूंकि यह गुजरात को ध्यान में रखकर लगाया गया है, इसलिए इसमें जो भी पैसा आएगा, वह सारा पैसा गुजरात को ही दिया जाएगा।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति महोदय, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 3 पहलू हैं—फ्लड, साइक्लोन और सूखा। ये तीनों पहलू कच्छ पर लागू होते हैं और अब उसमें भूकंप भी शामिल हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां 2 साल पहले बाढ़ की स्थिति थी, पिछले साल सूखा था और इस साल भी बारिश नहीं हुई है। महोदय, वहां के किसान 2 साल से सूखे की वजह से बहुत परेशान हैं और भूकंप के कारण बहुत से गांवों में किसानों के मकान गिर गए हैं। तो क्या इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मंत्री महोदय अपने डिपार्टमेंट की ओर से कच्छ के किसानों की मदद के लिए कोई स्पेशल योजना बनाएंगे?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, गुजरात में भूकंप आने से पहले पिछले 2 वर्षों से सूखे की स्थिति है और इससे निपटने के लिए अलग से सहायता दी जा रही है। महोदय, सूखे की समस्या से निपटने के लिए NCCF से पहले ही 85 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। यह कैलेमिटी फंड का जो सेंट्रल शेयर है, उसके अतिरिक्त है। अब गुजरात में भूकंप आने के बाद वहां की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसलिए वहां काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत अनाज दिया जा रहा है और कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वहां का जो पूर्वी इलाका था, उसका क्रॉप इंश्योरेंस का मामला भी अब सैटल कर दिया गया है, अभी 3-4 दिन पहले वह मामला सैटल कर दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के विभिन्न महकमों की ओर से जो कुछ भी किया जा सकता है, वह किया जा रहा है और हर चीज में वहां मदद दी जा रही है।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, I will put some specific questions. If the hon. Minister gives specific replies to those questions, I will appreciate it. He has mentioned that the corpus of Prime Minister's National Relief Fund comprises entirely of

voluntary contributions. I would like to know from the hon. Minister whether some donations have been received specifically for the Gujarat Relief Fund, under this Fund. He has specifically mentioned that this is meant for the Gujarat Relief Fund. If so, how much amount has been received and how much amount has been given for this specific purpose. Similarly, Sir, he has mentioned about the 2% surcharge. The total estimate in the Budget was about Rs. 2400 crores. I would like to know whether the Government has realised only Rs. 830 crores, or, they have realised more and disbursed less, or, whether they are going to disburse more as and when they realise it. If we can get the specific information, instead of a general reply on this point, it will be highly appreciated.

श्री नीतीश कुमार: जहां तक प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड का सवाल है उसके संबंध में सरकारी तौर पर कोई जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि वह एक ट्रस्ट है और किसी विभाग के जुम्मे वह काम नहीं है। वोल्यंटरी डोनेशन जो आते हैं प्रधान मंत्री जी द्वारा उससे विपदा की स्थिति में या जो इंडिविज्युअल बीमार होता है उसके इलाज के लिए या और प्रकार की कई परिस्थितियों में मदद की जाती है। इसके बारे में आम जानकारी लोगों को है और इसके संबंध में जो सूचनाएं हैं वह वेब साइट पर भी उपलब्ध हैं। गुजरात के संबंध में प्रधान मंत्री ने उदारतापूर्वक लोगों से जो मदद की अपील की है उसका असर सिर्फ प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ही धन नहीं आया बल्कि हर स्तर पर लोगों ने दान दिया है और वह सब गुजरात के काम में लगाया जा रहा है। जो गुजरात के काम के लिए एन०सी०सी०एफ० में, जैसा मैंने पहले कहा है दो प्रतिशत अधिभार लगाया गया, सरचार्ज लगाया गया, से जो पैसा आएगा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह पैसा गुजरात में ही जाएगा। अभी जो राशि रिलीज की जा चुकी है उसका मैंने उल्लेख किया। इसके बाद और राशि रिलीज की जा रही है।

श्री संतोष बागड़ोदिया: कितना आया, कितना गया?

श्री नीतीश कुमार: यह तो पूरे तौर पर जो आकलन है वह आपके पास उपलब्ध है। लेकिन जो कुछ भी पैसा उसमें कुल मिला कर के आएगा वह पैसा गुजरात को ही मिलेगा, यह बात साफ तौर पर वित्त मंत्री जी ने बतला दी है।

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, we have been having wars almost at an interval of 10 years, calamities almost every year, big calamities almost every three years. What we need is a permanent fund for this. This time, the Government has levied a 2% surcharge to help the

earthquake-affected people of Gujarat. I would like to know, is the Government considering levying the 2% surcharge on a permanent basis on all tax-payers so that we could have enough reserves for both, the defence personnel who are killed in wars and the calamity-affected people. Because, whatever reserves there may be, fall woefully short when the actual calamity takes place. And then the Government goes on begging and everybody is trying to raise money. That kind of a thing could be avoided if we raise a permanent fund so that we have enough money to deal with the calamities which take place every year.

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, इलेविंथ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस के आधार पर, उनकी अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न राज्यों के कैलेमिटी रिलीफ फंड निर्धारित हैं। उसमें से तीन चौथाई केन्द्र सरकार देती है और एक चौथाई राज्य सरकारों को देना होता है। उसके अतिरिक्त जो बड़ी विपदाएं आएंगी उसका मुकाबला करने के लिए अगर जो स्टेट का कैलेमिटी फंड है जिसमें केन्द्र तीन चौथाई मदद देती है उसमें वह परिस्थितियों से निबटने में सक्षम नहीं हो वैसी स्थिति में एक नेशनल कैलेमिटी कंटिन्जेंसी फंड की भी व्यवस्था की गई है। इलेविंथ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से शुरू में केन्द्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया डाला गया था। इलेविंथ फाइनेंस कमीशन ने ही कहा है कि इसमें जिस तरह से खर्च होता जाए उसको रिकूप करते जाइए सरचार्ज लगा करके सेंट्रल टेक्सेज पर और उसी व्यवस्था के अंतर्गत सरचार्ज लगाया गया है और उसको रिकूप किया जाएगा। एन०सी०सी०एफ० से पिछले वर्ष 2000-2001 साल में सूखा प्रभावित राज्यों को भी मदद दी गई है और आगे भी जो इलेविंथ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस हैं उसके हिसाब से एन०सी०सी०एफ० से जरूरत पड़ने पर मदद की जाती रहेगी।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या परमानेंट बेसिस पर ऐसी स्कीम शुरू करने का इरादा है या करना चाहेंगे?

श्री नीतीश कुमार: ऐसा फिलहाल कोई इरादा नहीं है क्योंकि फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ मैनेजमेंट होता है और उसने यह व्यवस्था कर रखी है। फिलहाल वह व्यवस्था पर्याप्त मालूम पड़ती है।